न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-...874/आ॰नि॰श॰...... दिनांक-...16...जून '2020

आदेश

वाद सं0-903/2020

(1) श्री रोशन कुमार, महासचिव, **Bihar Deaf Association**, ब्लॉक नं0-02, स्टॉल नं0-27, राजेन्द्रनगर, पटना-800016
(2) श्री अनिल कुमार पाण्डेय, पिता-बृजनन्दन पाण्डेय, ग्राम-एकसारा, पो0-एकसारा, जिला-नालन्दा
(3) सुश्री सीमा कुमारी, पिता-श्री नौलेश प्रसाद, ग्राम-सतनाग, पो0-सतनाग, जिला-नालन्दा
(4) श्री कुमार सानु, पिता-श्री मिथिलेश कुमार सिंह, गुलाब नगर संहौली, चित्रगुप्त नगर, खगड़िया।
(5) श्री सौरभ सुमन, जिला-खगड़िया (मो0 नम्बर-8969653416)

.... वादी

बनाम

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना। .... प्रतिवादी

प्रकरण में :- **कोविड19 (COVID-19) के कारण घोषित आपदा स्थिति में प्रधानमंत्री/केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के सभी दिव्यांगजन पेंशनधारियों के लिए घोषित राशि रू0-1,000/-(एक हजार) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

सुनवाई की तिथि - 16.06.2020

वादी पक्ष से श्री रौशन कुमार, महासचिव, Bihar Deaf Association उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष से श्री हरिशंकर सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना उपस्थित।

प्रतिवादी पक्ष सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उक्त प्रकरण में निर्गत पत्रांक-838 दि0-01.06.2020 तथा पत्रांक-910 दि0-16.06.2020 का संदर्भ दिया गया। उक्त पत्र के अन्तर्गत सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार की तीन केन्द्रीय पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों के लिए (पेंशनधारियों की संख्या अंकित करते हुये) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत रूपया 500-500 की दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए राहत राशि विमुक्त नहीं की गई है। प्रसंगवश, इस सम्बन्ध में पूछे गए एक सवाल के प्रत्युत्तर में उपस्थित प्रतिवादी द्वारा यह सूचित किया गया कि राज्य अन्तर्गत कुल 8.32 लाख दिव्यांगजन बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना से आच्छादित है।

उपस्थित वादी द्वारा बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान करने की माँग की गई।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों/पक्षों की सुनवाई के पश्चात निम्नवत आदेश जारी किये जाते हैं :-

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सूची में वृद्धि (07 से बढ़कर 21) किये जाने तथा पूर्व जनगणना वर्ष 2011 से लगभग 09 वर्ष का समय बीतने के पश्चात जनगणना विशेषज्ञ के एक आकलन अनुसार वर्तमान में राज्य में दिव्यांगजनों की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 51 लाख है (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल 23.2 लाख)। बिहार नि:शक्तजन पेंशन योजना अन्तर्गत आच्छादित कुल 8.32 लाख तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना अन्तर्गत आच्छादित कुल 1.20 लाख दिव्यांगजन की गणना अनुसार दिव्यांगजनों की कुल अनुमानित जनसंख्या 51 लाख में से केवल 9.52 लाख दिव्यांगजन (मात्र 18.66 प्रतिशत) ही पेंशन योजना से आच्छादित हैं। यदि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सूचित दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या 23.2 लाख के आधार पर भी गणना की जाय तो पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगजनों की संख्या काफी कम (मात्र 41.03 प्रतिशत अर्थात कुल जनसंख्या के आधे से भी कम) है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को आपसी सहयोग से पेंशन योजना आच्छादित दिव्यांगजनों की संख्या में तीव्र वृद्धि हेतु मिशन मोड में कार्य की जाने की आवश्यकता है।

क्र0पृ0उ0............

Scanned with CamScanner

(2) उक्त बिन्दु-01 से स्पष्ट है कि प्रथमतः तो राज्य के कुल दिव्यांगजनों का एक निम्न प्रतिशत ही पेंशन योजना से आच्छादित है, इस पर भी आँकड़ों आधारित तथ्य यह है कि राज्य अन्तर्गत पेंशन योजना से आच्छादित कुल 9.52 लाख दिव्यांगजनों में से केवल 1.20 लाख दिव्यांगजनों को ही इस लॉकडाउन अवधि में सहातार्थ रू0-1,000/- (एक हजार) की सहायता राशि प्राप्त हो सकी है। यह राज्य अन्तर्गत पेंशन योजना आच्छादित दिव्यांगजनों का मात्र 12.60 प्रतिशत है।

अतः आर्थिक सहायता से वंचित राज्य के बिहार निःशक्त पेंशन आच्छादित दिव्यांगजनों के लिए भी केन्द्र सरकार के समरूप आर्थिक सहायता के रूप में रू0-1,000/-(एक हजार) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(3) बिहार निःशक्तजन पेंशन योजना से जुड़ने के लिए लाभुक दिव्यांगजनों को ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

इस सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष को यह निदेशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई सम्बन्धी आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पक्ष को उपलब्ध करायें। प्रतिवादी पक्ष आदेश अनुपालन/कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

एतद द्वारा वाद निष्पादित किया जाता है।

16.06.20

(डॉ0 शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-903/2020-874/आ.नि.श. दिनांक-16 जून'2020

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.06.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-903/2020-874/आ.नि.श. दिनांक-16 जून'2020

प्रतिलिपिः-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को उनके सम्बन्धित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

16.06.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
संo.......
बिहार, पटना

Scanned with CamScanner